संख्या-02/2020/51/46-1-20-20(01)/2019

प्रेषक,

शिव शंकर द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 30 जनवरी, 2020

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु प्राविधानित धनराशि रू.2609.48 लाख में से रू.350.00 लाख पेंशन भुगतान हेतु प्राविधानित धनराशि को वेतन मद एवं अन्य मदों में व्यावर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-30/2019/757/46-1-19-20(01)/2019, दिनांक 27.06.2019 के अनुक्रम में गन्ना एवं चीनी आयुक्त के पत्र संख्या-106/लेखा-बजट(चीनी)/2019-20 दिनांक 08-01-2020 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 27.06.2019 द्वारा उ.प्र. गन्ना शोध परिषद शाहजहॉपुर को सहायता के अन्तर्गत, 31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित धनराशि रू. 2609.48 लाख के सापेक्ष वेतन, मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ते, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यात्रा भत्ता, पेंशनरी अवकाश अंशदान, पेंशन अंशदान, मानदेय एवं अखिल भा.शो. सम. परि. गन्ना अंशदान, सेवानिवृत्त अवकाश नकदीकरण/ग्रेच्युटी एवं पारिश्रमिक का भुगतान मदों में आवंटित/स्वीकृति धनराशि को आवश्यकता के दृष्टिगत संलग्न तालिका के स्तम्भ-7 के अनुसार पुनरीक्षित करते हुए पुन: आवंटित/स्वीकृत किया जाता है। तदनुसार सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) के अन्तर्गत वेतन, मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ते, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यात्रा भत्ता, पेंशनरी अवकाश अंशदान, पेंशन अंशदान, मानदेय एवं अखिल भा.शो. सम. परि. गन्ना अंशदान, सेवानिवृत्त अवकाश नकदीकरण/ग्रेच्युटी, पारिश्रमिक का भुगतान एवं सप्तम वेतनमान का एरियर मद में आवंटित करते हुए यथा आवश्यकता निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर को आहरित एवं व्यय करने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. शासनादेश संख्या-30/2019/757/46-1-19-20(01)/2019, दिनांक 27.06.2019 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा उक्त शासनादेश की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगी।

सलंग्नकः-यथोपरि।

भवदीय,

(शिव शंकर द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-02/2020/51(1)/46-1-20-20(01)/2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ.प्र., प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
5. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ.प्र., प्रयागराज।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल ।

सलंग्नकः-यथोपरि।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

शासनादेश संख्या-02/2020/51(2)/46-1-20-20(01)/2019, दिनांक 30 जनवरी, 2020 का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपयों में)

क्र.	उ.प्र. गन्ना शोध परिषद् को सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन)	कुल प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मद/कार्यवार फॉट (रू. लाख)	स्वीकृति धनराशि	बचत	पुर्नआवंटित धनराशि	पुनरीक्षित/ स्वीकृति धनराशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	वेतन	1380.85	1380.85	00	289.28	1670.13
2	महगाई भत्ता	278.12	278.12	10.00	00	268.12
3	अन्य भत्ते	23.41	23.41	00	00	23.41
4	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	60.00	60.00	46.28	00	13.72
	यात्रा व्यय	22.00	22.00	7.90	00	14.10
6	पेंशनरी अवकाश अंशदान	34.00	34.00	29.00	00	5.00
7	पेंशन अंशदान	17.00	17.00	00	00	17.00
8	मानदेय	3.00	3.00	1.10	00	1.90
9	अखिल भा.शो.सम.परि.गन्ना	16.00	16.00	00	00	16.00
10	सेवानिवृत्तिक अव.नकदी./ग्रेच्युटी	390.10	390.10	00	00	390.10
11	पारिश्रमिक का भुगतान	35.00	35.00	00	00	35.00
12	पेंशन हेतु प्राविधान	350.00	00	350.00	00	00.00
13	सप्तम् वेतनमान का एरियर	00	00	00	155.00	155.00
	योग-	2609.48	2259.48	444.28	444.28	2609.48

(रूपये छब्बीस करोड़ नौ लाख अड़तालिस हजार मात्र)

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है